अनुदान संख्या 101- शहरी विकास विभाग
GRANT No. 101 –DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged -*				
मूल	*Original*	*38,48,00*	*42,09,00*	*41,95,53*	*-13,47*
पूरक	*Supplementary*	*3,61,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	1232,50,00	1232,54,00	1081,24,45	-151,29,55
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				134,09,10
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged -*				
मूल	*Original*	*20,40,00*	*40,60,00*	*35,42,44*	*-5,17,56*
पूरक	*Supplementary*	*20,20,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,15,00*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	5563,89,00	5730,83,00	5704,39,12	-26,43,88
पूरक	Supplementary	166,94,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,83,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	4182.00	4252.00	4022.10	-229.90
पु.	R.	70.00			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation				
पु.	R.	805.52	805.52	805.52	..
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	54679.00			
पू.	S.	1.00	60293.50	60578.56	+285.06
पु.	R.	5613.50			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	42159.00			
पू.	S.	3.00	36053.11	34279.38	-1773.73
पु.	R.	-6108.89			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	16400.00	..	..	..
पु.	R.	-16400.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5830.00	8440.77	8438.89	-1.88
पु.	R.	2610.77			

(I) ₹23476.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹23425.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹23476.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹23425.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" -

(A) Major Head "2217"

(क) "अन्य शहरी विकास स्कीमें - स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्डों आदि को सहायता - राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन" - ₹5000.00 लाख स्कीम को शुरू करने के लिए व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – National Mission on Substainable Habitat (NMSH)" – ₹5000.00 lakhs - due to non-receipt of approval from Expenditure Finance Committee and Cabinet for operationalisation of the scheme.

(ख) "सामान्य - स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्ड को सहायता - विश्व बैंक - शहरी विकास का क्षमता निर्माण" - ₹2025.00 लाख परियोजना के शुरू होने मे विलंब होने के कारण थे।

(b) "General - Assistance to Local Bodies/ Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Board – World Bank – Capacity Building for Urban Development" – ₹2025.00 lakhs - due to delay in taking-off of the project.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम" -

(B) Major Head "2552" – "Water Supply - Urban Water Supply Programme" -

(क) " जलापूर्ति संवर्धन"- ₹2000.00 लाख ;

(a) "Augmentation of Water Supply"- ₹2000.00 lakhs;

(ख) "पूर्वोत्तर राज्यों में जल मल प्रणाली का विकास/ सुधार"- ₹400.00 लाख ;

(b) "Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States"- ₹400.00 lakhs;

(ग) " ठोस अपशष्टि निपटान परियोजना"-₹1000.00 लाख;

(घ) "शहरी अवसंरचना विकास परियोजना"- ₹9000.00 लाख ; और

(ङ) "सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना"-₹4000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052"- "सचिवालय-शहरी विकास" के अंतर्गत ₹159.90 लाख की बचत (₹4182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2217" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अन्य शहरी विकास स्कीमें"-

(क) "स्थानीय निकायों/ निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन"-₹1064.81 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय"-

(i) "शहरी सूचना प्रणाली"-₹173.40 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "सेटेलाइट/ काउंटर मैगनेट शहरों में शहरी अवसंरचना विकास"- ₹6542.68 लाख की बचत (₹13500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(खा) " सामान्य"-

(c) "Solid Waste Disposal Project" - ₹1000.00 lakhs;

(d) "Urban Infrastructure Development Project" - ₹9000.00 lakhs; and

(e) "Social/Community Development Project"- ₹4000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Urban Development" – saving of ₹159.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4182.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2217" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Urban Development Schemes"-

(a) "Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc – Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission" - saving of ₹1064.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to conducting of less number of seminars / workshops.

(b) "Other Expenditure" –

(i) "Urban Information System"- saving of ₹173.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs);

(ii) "Urban Infrastructure Development in Satellite/Counter Magnet Cities" – saving of ₹6542.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13500.00 lakhs);

(B) "General"-

(क) ''अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान''- ₹1577.36 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) ''निदेशन और प्रशासन''-

(i) ''शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन (घरेलू स्रोत) में क्षमता निर्माण''- ₹808.53 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

(ii) ''शहरी परिवहन (बाह्य सहायता संघटक) में क्षमता निर्माण''- ₹178.39 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई।

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''नगर और देश योजना संगठन''- ₹115.84 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ग) ''स्थानीय निकायों/ निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-कार्यान्वयन सहायता- कार्यक्रम प्रबंधन इकाई''- ₹272.28 लाख की बचत (₹375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को शुरू किए जाने में विलंब होने कारण हुई ।

(iv) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य अनुदान - उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना'' - ₹3585.98 लाख की बचत (₹5830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कारणों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने और निविदाएं जारी किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹126.90 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और

(a) "Research - Research in Urban and Regional Planning"- saving of ₹1577.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) ;

(b) "Direction and Administration"-

(i) "Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)" – saving of ₹808.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs); and

(ii) "Capacity Building in Urban Transport (External Aid Component)" – saving of ₹178.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less demand from the State Governments, Union Territories and implementing agencies.

(iii) "Town and Country Planning Organization" – saving of ₹115.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards – Implementation Support - Programme management Unit" – saving of ₹272.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹375.00 lakhs) was due to the delay in taking-off of the project.

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Urban Development Schemes - Other Grants – North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)" - saving of ₹3585.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5830.00 lakhs) was due to delay in finalisation of detailed project reports and issue of tenders owing to technical reasons.

(V) Under two heads savings of ₹126.90 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not

स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थीं ।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1462.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" - ₹792.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹793.05 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान" - ₹670.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215" -

(क) "जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम - पूर्वोत्तर राज्यों में जलापूर्ति का संवर्धन" - ₹440.42 लाख़ का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - पूर्वोत्तर राज्यों में मलजल प्रणाली का विकास/सुधार" - ₹365.10 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपुर्यक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" -

(क) "सामान्य पूल आवास" -

(i) "रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना" - ₹2338.01 लाख का अधिक व्यय (₹9510.00 लाख

exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 15 percent and 17 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹1462.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - ₹792.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹793.05 lakhs.

(B) Major Head "2217" - "General – Direction and Administration – Grants to Delhi Metro Rail Corporation" - ₹670.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2215"

(a) "Water Supply-Urban Water Supply Programme –Augmentation of Water Supply in North Eastern States"- excess of ₹440.42 lakhs (against nil provision); and

(b) "Sewerage and Sanitation–Sanitation Services-Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" – excess of ₹365.10 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2216" -

(a) "General Pool Accommodation" -

(i) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" – excess of ₹2338.01 lakhs

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य प्रभारित स्टाफ को चयन ग्रेड दिए जाने के बकाया की अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''भवन - पट्टा प्रभार'' - ₹757.70 लाख का अधिक व्यय (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पट्टा प्रभारों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(2) ''संपदा निदेशालय'' - ₹481.65 लाख का अधिक व्यय (₹5159.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों की दर में वृद्धि किए जाने और लोकनायक भवन के किराए में संशोधन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत'' -

(i) ''अन्य रख-रखाव व्यय'' - ₹656.44 लाख का अधिक व्यय (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की प्रगति को बनाए रखने और कार्यान्वयन एजेंसियो को अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''कार्य प्रभारित स्थापना'' - ₹899.83 लाख का अधिक व्यय (₹3323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य प्रभारित स्टाफ को चयन ग्रेड दिए जाने पर बकायों का भुगतान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय'' -

(against the sanctioned provision of ₹9510.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of arrears on grant of selection grade to work charged staff as per decision of Honourable Court.

(ii) "Other Expenditure"-

(1) "Building - Lease Charges" – excess of ₹757.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of lease charges.

(2) "Directorate of Estates" – excess of ₹481.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5159.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased rate of taxes levied by local bodies and revision of rent of Lok Nayak Bhawan.

(b) "Other Housing - Maintenance and Repairs"-

(i) "Other Maintenance Expenditure"- excess of ₹656.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to maintain the progress of ongoing works and payments to executing agencies.

(ii) "Work Charged Establishment" – excess of ₹899.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3323.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears on grant of selection grade to work charged staff as per decision of Honourable Court.

(C) Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes – Other Expenditure" -

(क) ''शहरी अवसंरचना विकास परियोजना'' - ₹7276.89 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''सामाजिक/सामुदायिक विकास परियोजना'' - ₹2122.72 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''जलापूर्ति - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम - उत्तर पूर्वी राज्यों में जलापूर्ति संवर्धन कार्यक्रम'' - ₹315.43 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''मलजल और सफाई-सफाई सेवाएं -पूर्वोत्तर राज्यों में मलजल प्रणाली का विकास/सुधार'' - ₹121.61 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड़ों को सहायता - उत्तर पूर्वी राज्यों में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं'' - ₹3928.07 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - उत्तर पूर्वी राज्यों में सामाजिक और सामुदायिक विकास परियोजनाएं'' - ₹1829.76 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(₹517.56 लाख)* अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए *₹2020.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 26 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थीं।

(a) "Urban Infrastructure Development Project" – excess of ₹7276.89 lakhs (against nil provision);

(b) "Social/Community Development Project" - excess of ₹2122.72 lakhs (against nil provision);

(D) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Water Supply-Urban Water Supply Programme -Augmentation of Water Supply Programme in North Eastern States" - excess of ₹315.43 lakhs (against nil provision);

(b) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern States" – excess of ₹121.61 lakhs (against nil provision);

(c) "Other Urban Development Schemes - Assistance to Local Bodies, Corporation, Urban Development Authorities Town Improvement Board – Urban Infrastructure Development Projects in North Eastern States" - excess of ₹3928.07 lakhs (against nil provision); and

(d) "Social Welfare – Other Programme – Social and Community Development Projects in North Eastern States" - excess of ₹1829.76 lakhs (against nil provision).

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹517.56 lakhs*) constituted 26 percent of the supplementary *appropriation* of *₹2020.00 lakhs* obtained in August, 2011 and 13 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"					
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing					
मू.	*O.*	*2040.00*				
				1625.00	*1525.04*	*-99.96*
पु.	*R.*	*- 415.00*				

(I) "सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन - राष्ट्रपति संपदा" - *₹418.74 लाख* की बचत (*₹1940.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राष्ट्रपति संपदा में समारोह हाल के निर्माण की स्वीकृति में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Government Residential Buildings-Other Housing – President's Estate"- saving of *₹418.74 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1940.00 lakhs*) was due to delayed sanction for construction of Ceremonial Hall in President's Estate.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹96.22 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 96 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *₹96.22 lakhs* occurred constituting 96 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2643.88 लाख) अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹16694.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹2643.88 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹16694.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	47261.00			
पू.	S.	1001.00	47879.00	47643.12	-235.88
पु.	R.	- 383.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	160821.00	176512.00	176509.00	-3.00
पू.	S.	15691.00			
मुख्य शीर्ष "6217" शहरी विकास के लिए कर्ज	Major Head "6217" Loans for Urban Development				
मू.	O.	346287.00	346289.00	346287.00	-2.00
पू.	S.	2.00			
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments		2020.00	..	-2020.00

(I) ₹2021.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹2020.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "7601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य कर्ज - उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना" के अंतर्गत प्रभारित अंश के अंतर्गत पूरक प्राप्त करने के लिए गलती से राशि अभ्यर्पित न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹2021.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹2020.00 lakhs alone accounted for under Major Head "7601" - "Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Urban Development Schemes - Other Loans - North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)" - due to non-surrender of amount inadvertently for obtaining supplementary under charged portion.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण" - ₹201.33 लाख की बचत (₹34900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे हो चुके कार्य के बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "General Pool Accommodation – Urban Development Construction"- saving of ₹201.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34900.00 lakhs) was due to non-finalization of bills for completed works.

(खा) "अन्य भवन" -

(B) "Other Housing" -

(क) "वित्त (राजस्व)" - ₹1952.30 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7505.00 लाख

(a) "Finance (Revenue)"- saving of ₹1952.30 lakhs (against the total sanctioned provision

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए कार्य की मंजूरी प्राप्त न होने और विभिन्न स्थानों पर चालू कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

of ₹7505.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of sanction for new work and slow progress of ongoing works at various places.

(ख) "रोजगार" - ₹384.21 लाख की बचत (₹435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Employment" - saving of ₹384.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹435.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval/expenditure sanction from the client department.

(III) मुख्य शीर्ष "4217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - अन्य मेट्रों परियोजनाएं" - ₹6000.00 लाख की बचत (₹60500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Other Metro Projects" – saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60500.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes - Loans to Municipal Corporation" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बंगलौर जन तीव्र परिवहन प्रणाली" - ₹2000.00 लाख की बचत (₹79000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Bangalore Mass Rapid Transit System" – saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹79000.00 lakhs); and

(खा) "अन्य मेट्रो परियोजना को पास थ्रू सहायता" - ₹16100.00 लाख की बचत (₹145100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Pass through Assistance to Other Metro Project" – saving of ₹16100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹145100.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to less demand from the implementing agencies and non-sanctioning of new projects.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹23497.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1003.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

6.(I) The above savings were partly (₹23497.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1003.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन" -

(A) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing" -

(क) "लेखा परीक्षा" - ₹800.00 लाख। तथापि, वास्तवकि अधिक व्यय ₹805.10 लाख था।

(a) "Audit" - ₹800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹805.10 lakhs.

(ख) "लोक सभा/राज्य सभा" -₹1000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹998.00 लाख था।

(ग) "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन" - ₹200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹166.42 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्व-पश्चिम मेट्रो कारिडोर परियोजना, कोलकाता" - ₹5499.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5498.00 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - पूर्व-पश्चिम कारिडोर परियोजना, कोलकाता को पास थ्रू सहायता" - ₹15998.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15999.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "4217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - दिल्ली मेट्रो रेल निगम" - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹12689.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹57909.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - दिल्ली मेट्रो रेल निगम को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक से पास थ्रू सहायता" - ₹2100.00 लाख का अधिक व्यय (₹65000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Lok Sabha/Rajya Sabha" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹998.00 lakhs.

(c) "Personnel, Public Grievances and Pensions" - ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹166.42 lakhs.

(B) Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes – Investment in Public Sector and Other Undertakings – East-West Metro Corridor Project, Kolkata" – ₹5499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5498.00 lakhs.

(C) Major Head "6217" - "Other Urban Development Schemes - Loans to Municipal Corporation – Pass through assistance to East-West Corridor Project, Kolkata" - ₹15998.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15999.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Delhi Metro Rail Corporation" – excess of ₹500.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹57909.00 lakhs including supplementary grant of ₹12689.00 lakhs); and

(B) Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes – Loans to Municipal Corporation – Pass through assistance to Delhi Metro Rail Corporation from JBIC (Japan Bank of International Co-operation)" - excess of ₹2100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards ongoing projects.